दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 06-09-2025

फैसला | तखतपुर के सिविल जज कोर्ट का आदेश किया निरस्त

पिता की मौत के बाद नाबालिग बेटों ने जमीन का केस लड़ा, हाई कोर्ट ने कहा- सीमांकन कराएं

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

जमीन विवाद के मामले में हाई कोर्ट ने सिविल जज वर्ग-2 कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है। पिता की खरीदी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर मकान और आंगन बना रहे थे, इसे दो नाबालिग बेटों ने चुनौती दी थी, लेकिन सिविल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि जमीन का सीमांकन कराना जरूरी है, इसके लिए आयुक्त नियुक्त किया जाए।

तखतपुर के गनियारी निवासी दो नाबालिग लोकेश कुमार और हेमंत कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। बताया कि उनके पिता ने 24 मार्च 2017 को खोरबाहरा साहू से 2 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। रजिस्टर्ड सेल डीड के बाद नामांतरण भी हुआ। राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिता का नाम दर्ज है। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें जमीन स्वामित्व व कब्जा मिला। गौतम प्रसाद, जनक राम, सुरेश साहू समेत अन्य ने उनकी जमीन के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर मकान व आंगन का निर्माण शुरू कर दिया। इसी कारण उन्होंने सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की मांग करते हुए आवेदन किया था। सिविल जज-वर्ग-2 कोर्ट ने बिना ठोस कारण बताए उनका आवेदन खारिज कर दिया।

सीमांकन विवाद में आयुक्त जरूरी

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा वक्फ बोर्ड विरुद्ध शांति स्वरूप मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब विवाद सीमांकन से जुड़ा हो तो आयुक्त की नियुक्ति जरूरी होती है। निचली अदालत के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आदेश दिया कि निचली अदालत आयुक्त नियुक्त कर सीमांकन कराए।

जवाब में तर्क दिया- सीमा विवाद नहीं

वहीं, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि जमीन की सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। वे सबूतों के साथ अपना स्वामित्व साबित कर सकते हैं।